मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१५

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ज) में, शब्द ''भाण्डागारिक'' का लोप किया जाए.

धारा ३१ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, शब्द ''भाण्डागारिक'' का लोप किया जाए.

धारा ३८ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३८ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

> ''(२) मण्डी समिति निधि में के समस्त धन तथा उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट की गई अन्य राशियां जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त की जाएंगी.''.

धारा ४३ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ४३ में, उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

> ''(७) मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन तथा अन्य राशियां, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त की जाएंगी.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह अनुभव करने पर कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) के कतिपय उपबंधों को, मण्डी समिति में कारबार करने को सुकर बनाने, आधुनिक बनाने तथा सरल बनाने की दृष्टि से, संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, कृषि-उपज के विपणन तथा विनियमन के संबंध में हो रहे परिवर्तनों का सामना करने के लिए अधिनियम के कतिपय उपबंधों को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. यह विधेयक, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध करता है:—

(एक) **अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) का खण्ड (ज).**—यह ''मण्डी कृत्यकारी'' की विद्यमान परिभाषा में संशोधन करने हेतु उपबंध करता है और कृषि उपज के भण्डारण को सुकर बनाने के लिए शब्द ''भाण्डागारिक'' का लोप किया जाना प्रस्तावित है.

(दो) **अधिनियम की धारा ३१.**—''भाण्डागारिक'' को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वह भाण्डागार में केवल कृषि-उपज का भण्डारण करता है.

(तीन) **अधिनियम की धारा ३८ की उपधारा (२).**—आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं जैसे तत्काल सकल निपटान, ई-भुगतान, ई-निविदा तथा ई-विपणन इत्यादि के मण्डी समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा उपयोग को सुकर बनाने के लिए, मण्डी समिति निधि के धन तथा अन्य राशियां, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त करने के लिए उपबंध किया जाना प्रस्तावित है.

(चार) **अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (७).**—यह मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त समस्त धन तथा अन्य राशियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त किए जाने का उपबंध करती है जिससे कि आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं जैसे तत्काल सकल निपटान, ई-भुगतान तथा निधि का ई-अंतरण संभव हो सके.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १ दिसम्बर, २०१५.

गौरीशंकर बिसेन
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) से उद्धरण

धारा १. ** ** ** **

धारा २. (१) (क) से (झ) ** ** ** **

(ञ) ''मंडी कृत्यकारी'' के अन्तर्गत आता है दलाल, आढ़तिया, निर्यातक, ओटने वाला, आयातक, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता, स्टाकिस्ट, व्यापारी, तुलैया, भाण्डागारिक, हम्माल, सर्वेक्षक तथा ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे नियमों या उपविधियों के अधीन मंडी कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाये;

(१) (ट) से (त) ** ** ** **

(२) ** ** ** **

धारा ३ से ३०. ** ** ** **

धारा ३१. कोई भी व्यक्ति, किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में मंडी क्षेत्र में, आढ़तिया, व्यापारी, दलाल, तुलैया, हम्माल, सर्वेक्षक, भाण्डागारिक प्रसंस्करण के या विनिर्माण के कारखाने के स्वामी या अधिभोगी या ऐसे अन्य मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं.

धारा ३२ से ३७. ** ** ** **

धारा ३८. (१) ** ** ** **

(२) मंडी समिति निधि के समस्त धन तथा उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट की गई अन्य राशियां जिला सहकारी बैंक में या यदि मंडी समिति के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक में या किसी ऐसे बैंक में, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७०) की प्रथम अनुसूची में तत्समय नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त की जायेगी.

धारा ३९ से ४२. ** ** ** **

धारा ४३. (१) से (६) ** ** ** **

(७) मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुये समस्त धन किसी सहकारी बैंक में या यदि बोर्ड के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक या किसी ऐसी बैंक में, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अनिनियम १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७०) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त किये जायेंगे.

धारा ४४ से ८२. ** ** ** **

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.